*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब०/गै०यो०(जल पर्षद)–16–01/2014 239 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक– 05/3/2020

विषयः– वित्तीय वर्ष 2019–20 में बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) को पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न ड्रेनेज पम्पिंग प्लांटो के रख–रखाव, सम्पोषण, संचालन आदि हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत सहायक अनुदान के रूप में ₹3000.00 लाख (तीस करोड़ रु०) मात्र की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न ड्रेनेज पम्पिंग प्लांटो के रख–रखाव सम्पोषण, संचालन एवं विद्युत विपत्र आदि हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद से बिहार राज्य जल पर्षद (विघटित) सम्प्रति बुडको को राशि आवंटित की जाती थी। वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभागीय संकल्प सं०– 2690, दिनांक– 16.05.2018 द्वारा बिहार राज्य जल पर्षद का विलय बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) में किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त विलयन विभागीय अधिसूचना संख्या– 3092, दिनांक– 15.11.2018 के आलोक में दिनांक– 30.11.2018 के अपराह्न से प्रवृत्त है। उक्त विलयन के पश्चात् बिहार राज्य जल पर्षद (विघटित) के ड्रेनेज पम्पिंग प्लांटो के रख–रखाव सम्पोषण, संचालन एवं विद्युत विपत्रों के भुगतान का दायित्व बुडको का है।"

2. उक्त के आलोक में बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) द्वारा पटना शहर में अवस्थित विभिन्न ड्रेनेज पम्पिंग प्लांटो के रख–रखाव, सम्पोषण, संचालन आदि हेतु तीन वर्षों के लिए कार्य योजना निम्नवत् तैयार कर राशि की माँग की गई है :–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	Group	ड्रेनेज पम्पिंग प्लांटों की संख्या	वित्तीय वर्ष, 2020–21	वित्तीय वर्ष, 2021–22	वित्तीय वर्ष, 2022–23	तीन वर्षों का कुल व्यय (4+5+6)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Group- 1	5	482.28400	271.24000	289.81200	1043.33600
2	Group- 2	7	190.18000	143.27000	155.90000	489.35000
3	Group- 3	6	277.20000	226.71500	234.10000	738.01500
4	Group- 4	5	1320.69000	532.55733	589.93748	2443.18481
5	Group- 5	5	442.26000	243.66708	250.76303	936.69011
6	Group- 6	5	680.60000	371.34000	403.16000	1455.10000
7	Group- 7	5	459.53850	395.86063	432.46991	1287.86904
	कुल	**38**	**3852.75250**	**2184.65004**	**2356.14242**	**8393.54496**

3. उपरोक्त कार्य योजना आगामी तीन वर्षों के लिए है। चालू वित्तीय वर्ष, 2019–20 में उक्त कार्य हेतु कुल ₹3000.00 लाख (तीस करोड़ रू०) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹3000.00 लाख (तीस करोड़ रु०) मात्र।

4. उक्त स्वीकृत ₹3000.00 लाख (तीस करोड़ रु०) मात्र के **स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें**, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 256, दिनांक– 26.02.2019, पत्रांक– 732, दिनांक– 31.07.2019, पत्रांक– 733, दिनांक– 31.07.2019 (प्रथम अनुपूरक) एवं पत्रांक– 1670, दिनांक– 03.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर निगम, पटना के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा। तत्यपश्चात पटना नगर निगम द्वारा उक्त राशि का हस्तांतरण बुडको को किया जायेगा।***

5. **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

6. राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 63, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण–पत्र BTC- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

7. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार ''सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।''

8. उक्त स्वीकृत ₹3000.00 लाख (तीस करोड़ रु०) मात्र की निकासी माँग सं०– 48 के मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 05–अन्य शहरी विकास परियोजनाएँ, लधु शीर्ष– 001–निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष– 0008–एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन, विपत्र कोड– 48-2217050010008, विषय शीर्ष– 0008.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद से की जायेगी।

9. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

11. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– 2ब०/गै०यो०(जल पर्षद)–16–01/2014 के पृष्ठ सं०–167/टि० पर दिनांक–5.3.20 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–168/टि० पर दिनांक–5.3.20 को प्राप्त है ।

12. उक्त राशि के व्यय की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक– 03.03.2020 के मद संख्या 10 द्वारा प्रदान की गई है।

13. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

14. इसकी सूचना प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/कोषागार पदाधिकारी, पटना कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/गै०यो०(जल पर्षद)–16–01/2014 239 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 05/3/2020

प्रतिलिपिः– प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/प्रशाखा पदाधिकारी–सह– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०–मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवाश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05-03-2020

सरकार के विशेष सचिव।